संख्या- 321/2015-5672 /नौ-5-15-79बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद लखनऊ ट्रांस गोमती क्षेत्र में निशातगंज, गुलाचीन मन्दिर के पास, जगरानी हास्पिटल से टेढ़ी पुलिया, कमला नेहरू नगर खुरर्म नगर रिंग रोड (हंस भक्ति धाम) के पास सीवर लाइन डालने एवं अन्य विविध कार्यों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-235/नागर-2/033-410/15 दिनांक 19.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ ट्रांस गोमती क्षेत्र में निशातगंज, गुलाचीन मन्दिर के पास, जगरानी हास्पिटल से टेढ़ी पुलिया, कमला नेहरू नगर खुरर्म नगर रिंग रोड (हंस भक्ति धाम) के पास सीवर लाइन डालने एवं अन्य विविध कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-176/2015-1869/नौ-5-2015-79बजट/2015, दिनांक 08.06.2015 द्वारा रू0 835.76 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 (रू0 एक करोड़ मात्र) का व्यय हो जाने के दृष्टिगत, शासनादेश संख्या-2522/नौ-5-2014-86बजट/2014 दिनांक 31.03.2014 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि रू0 3905.99 लाख में से रू0 500.00 लाख की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्ग शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उ कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्च किया जाय।

go finance mangal font

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2704/दस-2015, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-321/2015-5672/नौ-5-15-79बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9- महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, लखनऊ ।
10- -वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

shashinagar.up.nic.in